कार्यालय, जिलाधिकारी, जौनपुर।

पत्रांक 3814/ST/22-5/ दिनांक 13-5-2023

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
(एन.जी.टी.) नई दिल्ली।

विषय– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–101/2023 लालचन्द शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का अनुपालन आख्या।

महोदय,

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–101/2023 लालचन्द शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी, जौनपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी का अनुपालन आख्या आपकी सेवा में संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जिलाधिकारी,
जौनपुर।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–101/2023 लालचन्द शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का अनुपालन आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–101/2023 लालचन्द शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता में वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी एवं श्री एस0सी0शुक्ला क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड, वाराणसी की गठित संयुक्त समिति/टीम के द्वारा दिनांक 21.03.2023 को मौके का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 21 वृक्ष मौके पर खड़े पाये गये जिसका पातन न करने हेतु विद्युत विभाग को निर्देश दिये गये साथ ही 31 वृक्ष जो विद्युत कार्यशाला हेतु पातन किया गया है, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु 10 गुना से अधिक कुल 510 (शीघ्र बढ़ने वाले) पौधो का पौधरोपण कराने का बचनबद्ध (अण्डर टेकिंग) कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये विद्युत विभाग को निर्देश दिये गये।

अतः मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–101/2023 लालचन्द शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के समादर में संयुक्त कमेटी की अनुपालन आख्या प्रेषित है।

एस0सी0शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण बोर्ड,वाराणसी	वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी	जिलाधिकारी, जौनपुर